//1//

–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–89 / 2024

उनवान

मुस्ताक अली पुत्र फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी, जाता मस्जिद के पास, रामसर, नसीराबाद

––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––– अप्रार्थी :– जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 24.10.25

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामबाडी के हाल खाता संख्या 138 / 138 किता 4 रकबा 1.62 की आराजी के 1 / 2 हिस्सा पर प्रार्थी पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी स्व. फकीर मोहम्मद का दत्तक पुत्र है। फकीर मोहम्मद ने अपने जीवनकाल में वर्ष 1984 में गांव के रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थी को गोद लिया था। फकीर मोहम्मद के स्वर्गवास के बाद आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का ही हक व अधिकार है। उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 25.06.2017 से प्रार्थी मुस्ताक अली पुत्र फकीर मोहम्मद के स्थान पर फकीर मोहम्मद व मूहमूद पि. लाल मोहम्मद के नाम अंकित कर दी गयी। प्रार्थी ने अपने जायन्दा पिता कर सम्पति में सम्पूर्ण हिस्सा त्याग दिया है। अतः नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 25.06.2017 को निरस्त कर प्रार्थी को खातेदार दर्ज किया जावे। अप्रार्थी को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 राज. पैरोकार ने मूल वाद में जवब पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम रामबाडी के हाल खाता संख्या 138 / 138 किता 4 रकबा 1.62 की आराजी पर फकीर पुत्र लाल मोहम्मद का 1 / 4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि वह फकीर पुत्र लाल मोहम्मद का दत्तक पुत्र है। जिसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा हाल व साबिक राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावे[illegible] किये है। प्रकरण से संबधित मूल वाद साक्ष्य वादी में नियत विचाराधीन है। प्रार्थी [illegible] प्र[illegible] में तहसीलदार नसीराबाद को पक्षकार मुर्तिब कर उसके विरुद्ध अप्रार्थी निषेधाज्ञा [illegible]। किन्तु आराजी मुतनाजा

––2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राजस्व अभिलेख में खातेदारी होने के कारण तहसीलदार नसीराबाद द्वारा उक्त आराजी पर किसी प्रकार की दखलदांजी करने की कोई संभावना नही है। खातेदारी भूमि का हस्तांतरण तहसीलदार नसीराबाद द्वारा नही किया जा सकता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण तहसीलदार नसीराबाद को बिना ठोस कारण के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। मौके पर वाद बहुलता की संभावना भी सिद्ध नही होती है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्ध नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होगे।

आदेश :-ग्राम रामबाडी के हाल खाता संख्या 138/138 किता 4 रकबा 1.62 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:26 IST
Reason: SelfAttested